हुक्म या कार्यवाही मय जूडिशियल जज

12
15/12

प्रमाण की पेश हुई। वकील प्रार्थी ने
निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी-
गण के मध्य रजामंदी हो चुकी है।
प्रार्थी-पक्ष को आगे चलाना नहीं
चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-
पत्र नोट फेयर अवार्ड किया
जाता है। पत्रावली फैसले शुमार
होकर नियमानुसार के बाद
वकील जनाब उपस्थित रहकर
हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़ (सीकर)

Scanned with CamScanner